

# कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर (म.प्र.)

// परिपत्र //

क्र. 4/एक-15-7/15/एस.डब्ल्यू/2020

बुरहानपुर, दिनांक-07.05.2021

रजिस्ट्री के एस.ओ.पी क्रमांक ए/113, दिनांक 15.01.2021 एवं अतिरिक्त एस.ओ.पी क्र. ए/1149 दिनांक 03.04.2021, एवं अधीनस्थ न्यायालय हेतु जारी अति. एस.ओ.पी. दिनांक 20.04.2021 के अनुक्रम में समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन आदेश क्रमांक एफ/35-09/2020/दो/सी-2 भोपाल, दि 20.04.2021 एवं कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बुरहानपुर के कोरोना कर्फ्यू आदेश क्र. 2728, बुरहानपुर दिनांक 07.05.2021 के तारतम्य में दिनांक 17.05.2021 की प्रातः 06:00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाये जाने को दृष्टिगत रखते हुए, जिला अधिवक्ता संघ बुरहानपुर से हुई दूरभाष पर चर्चा के आधार पर, मैं कालूसिंह बारिया, प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर, जिला न्यायालय बुरहानपुर एवं तहसील न्यायालय नेपानगर के संबंध में पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक-3 दिनांक-01.05.2021 की कंडिका क्रमांक-2 की ड्यूटी लिस्ट में संशोधन कर, परिपत्र के शेष निर्देशों को दिनांक-13.05.2021 तक निरंतर रखते हुये, कंडिका क्रमांक-17 के पश्चात् कंडिका क्रमांक-18 एवं 19 निम्नानुसार संयोजित की जाती है:-

18- माननीय रजिस्ट्री द्वारा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिये गये निर्देशानुसार ग्रीष्मकालीन अवकाश में कोई भी अधिकारी/कर्मचारी विशेष परिस्थितियों को छोड़कर बिना पूर्व स्वीकृति के मुख्यालय से बाहर प्रस्थान नहीं करेगा।

19- कार्यालयीन परिपत्र क्रमांक-2/एक-15-7/15 एस.डब्ल्यू/2020 दि0-22.04.2021 की कंडिका-1 में मात्र न्यायालयीन समय संशोधित करते हुए न्यायालयीन समय दोपहर 02:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक किया जाता है। साथ ही अभिलेखागार अनुभाग को छोड़कर शेष समस्त अनुभागों का समय भी दोपहर 02:00 बजे से शाम 05:00 बजे रहेगा।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डिजिटिजेशन के कार्य को प्राथमिकता से कराये जाने के निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त परिपत्र क्रमांक- 2/एक-15-7/15 एस.डब्ल्यू/2020 दि0-22.04.2021 की कंडिका-6 के सब पैरा में, आंशिक संशोधन करते हुए अभिलेखागार व डिजिटिजेशन के कार्य को विशेष प्राथमिकता देते हुए, उक्त कार्य प्रातः 11:00 बजे से 02:00 बजे तथा दोपहर 02:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपादित किया जावेगा, इस हेतु नोडल ऑफिसर डिजिटिजेशन एवं प्रभारी अधिकारी अभिलेखागार अनुभाग, ग्रीष्मकाल के दौरान एवं उसके पश्चात् आवश्यकतानुसार तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की 50-50 प्रतिशत उपस्थिति अनुसार ड्यूटी लगाया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त अवधि में जिला न्यायालय बुरहानपुर एवं तहसील नेपानगर के न्यायालय का अत्यावश्यक आपराधिक कार्य निम्न अधिकारियों द्वारा संपादित किया जावेगा:


मुख्यालय	दिनांक	न्यायिक अधिकारी का नाम
जिला मुख्यालय बुरहानपुर	10.05.2021	1-श्री तपेश कुमार दुबे, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 2-सुश्री पलक श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
	11.05.2021	1-श्री तपेश कुमार दुबे, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 2-श्री रामसिंह बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
	12.05.2021	1- श्री तपेश कुमार दुबे, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 2- श्री आयुष कनेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
	13.05.2021	1-श्री तपेश कुमार दुबे, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 2-सुश्री शीतल बघेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
तहसील मुख्यालय नेपानगर	दिनांक-10, 11,12 एवं 13 मई 2021.	श्री गौरव गर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नेपानगर, तथा उनके अवकाश पर रहने की दशा में जिला मुख्यालय बुरहानपुर में तत्समय उपरोक्तानुसार उपस्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जावेगा।

— 54 —  
जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
बुरहानपुर

पृ. क्र. 642/एक-15-7/15/एस.डब्ल्यू/2020

बुरहानपुर, दि.07.05.2021

- (1) माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (2) समस्त न्यायालय एवं अनुभाग तथा प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय बुरहानपुर/तहसील न्यायालय नेपानगर
- (3) सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बुरहानपुर
- (4) जिला अभिभाषक संघ बुरहानपुर
- (5) लोक अभियोजक/जिला अभियोजन कार्यालय बुरहानपुर
- (5) जिला दंडाधिकारी बुरहानपुर
- (6) पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर
- (7) सी.एम.ओ, जिला चिकित्सालय, बुरहानपुर
- (8) जेल अधीक्षक, जिला जेल खंडवा।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (9) जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, बुरहानपुर की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि, समस्त संबंधितों को उनकी ई-मेल आई.डी./व्हाटसअप के माध्यम से सूचित करें।
- (10) जिला नाजिर की ओर 03 प्रतियां, विभिन्न सूचना-पटल पर चस्पा करने हेतु एवं समस्त तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को संसूचित कराये जाने हेतु प्रेषित।

  
जिला एवं सत्र न्यायाधीश

बुरहानपुर